

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर

क्र०सं० : 1059

दिनांक : 29 जनवरी, 2018

—:: आदेश ::—

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश क्रमांक स्था.(अधी.न्याय)/2017/01 दिनांक 14.07.2017 एवं राज्य सरकार वित्त विभाग की अधिसूचना सं. एफ.12(5) वित्त/नियम 2005 दिनांक 02.09.2016, श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्रांक 6301 दिनांक 26.08.2017 तथा पत्रांक 8217 दिनांक 09.11.2017 द्वारा जयपुर महानगर न्यायक्षेत्र में दिनांक 01.04.2003 को स्वीकृत प्रोटोकॉल अधिकारी कम प्रशासनिक अधिकारी (Protocol Officer - cum - Administrative Officer) के पद पर, उपरोक्त आदेशों/अधिसूचना/वित्त विभाग की स्वीकृति की पालना में जयपुर महानगर न्यायक्षेत्र में कार्यरत/सेवानिवृत्त निम्नांकित कर्मचारीगण को तत्समय प्रभावी नियमों के तहत उनके नाम के आगे अंकित दिनांक से/अवधि तक दिनांक 01.04.2003 से वेतन श्रृंखला 10000-325-15200 (15) व दिनांक 01.09.2006 से पीबी-3 रनिंग पे बैंड 15600-39100 ग्रेड पे 6600/- तथा दिनांक 01.07.2013 से पीबी-3 रनिंग पे बैंड 15600-39100 ग्रेड पे-6600/- तथा राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं संशोधित आदेश क्रमांक एफ.13(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 09.12.2017 के तहत नियमानुसार पे मैट्रिक्स में लेवल एल-16 के अनुसार वेतन स्वीकृत किया जाकर वरीयता/मेरिट अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया जाता है :-

S.N.	Name (Sarva Sh./ Smt./ Kum.)	DOB	Period of Adjustment /Promotion on the post of Protocol Officer - cum- Administrative Officer
1	SHABUDDIN	20-Jun-47	01.07.2005 to till retirement
2	MAHESH CHAND SHARMA	5-Jul-51	01.09.2009 to till retirement
3	KRISHANBIHARI MATHUR	25-Aug-54	01.08.2011 to till retirement
4	NAND KISHORE MITTAL	19-Jan-55	01.09.2014 to till retirement
5	PRADEEP KUMAR JAIN	19-Sep-62	01.11.2016 to continue

नोट :-

1. उक्त पदोन्नति आदेश का इन्द्राज कर्मचारीगण की सेवा पुस्तिका में किया जावे तथा नियमानुसार वेतन नियतन की कार्यवाही की जावे।
2. सेवानिवृत्त/निधन हो चुके कर्मचारीगण के एरियर की राशि का भुगतान नकद रूप में उनके अंतिम पदस्थापन वाले न्यायालय से किया जावेगा।
3. वर्तमान में कार्यरत/पदस्थापित कर्मचारीगण की दिनांक 01.04.2003 अथवा उनकी पदोन्नति दिनांक से 02.09.2016 तक की एरियर की राशि राजस्थान सरकार, वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 02.09.2016 के अनुसार उनके जीपीएफ खाते में जमा की जावेगी तथा दिनांक 01.01.2004 के पश्चात् नवीन पेंशन योजना के तहत आने वाले कर्मचारीगण को उनकी एरियर की राशि का भुगतान नियमानुसार एन0पी0एस0 की कटौती करते हुए नकद रूप में उनके पदस्थापन वाले न्यायालय से किया जावेगा।
4. उक्त समस्त पदोन्नतियां शेट्टी आयोग की सिफारिश की अनुपालना में दिनांक 01.04.2003 से भूतलक्षी प्रभाव से एक तिथि विशेष को की गयी है, ऐसी परिस्थिति में किसी भी प्रकार की लिपिकीय त्रुटि/भूल पाये जाने एवं राज्य सरकार व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों/आदेशों के अधीन अन्यथा पाये जाने पर, उक्त आदेश में परिवर्तन/संशोधन किया जा सकेगा।
5. वर्तमान में कार्यरत/पदस्थापित कर्मचारीगण के पदस्थापन आदेश पृथक् से प्रसारित किये जाएंगे।

sd/-

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर

क्र०सं० : 1059

दिनांक : 29 जनवरी, 2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. प्रभारी अधिकारी, लेखा शाखा, जिला न्यायालय, जयपुर महानगर
02. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर
03. संबंधित न्यायालय
04. संबंधित कर्मचारी
05. कोर्ट मैनेजर, जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर
06. आदेश पत्रावली/संबंधित पत्रावली/रक्षित पत्रावली

sd/-

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर